से कम का व्यक्ति नहीं होगा। नामिका में कम से कम तीन नाम राज्य के बाहर के होंगे। प्रत्येक विशेषज्ञ का नाम, पता ईमेल पता, फैक्स, मोबाईल नं॰ आदि उल्लिखित होगा। नामिका में शोधनिर्देशक का नाम भी उल्लिखित किया जायेगा और वह भी एक परीक्षक होगा। मार्ग निर्देशक इस हेतु अध्ययन बोर्ड सदस्य अनुमेलित किया जायेगा। कुलपति इस नामिका में से मार्ग निर्देशक सहित तीन (०३) परीक्षक नियुक्त करेंगे जो निर्धारित पद्धति से शोधप्रबन्ध का मूल्यांकन करेंगे। इसमें एक परीक्षक विदेश से भी हो सकते है।

९.१२(ग) छः (०६) माह की निर्धारित अवधि में शोध प्रबन्ध न जमा होने की स्थिति मे पैनल कालातीत हो जायेगा तथा शोध प्रबन्ध प्रस्तुत होने पर अध्ययन बोर्ड पुनः नया पैनल संस्तुत करेगा।

९.१२(घ) हर तरह से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा कि विश्वविद्यालय की दृष्टि से यह पैनल प्रतिनिधित्वात्मक प्रकृति का हो और एक विश्वविद्यालय से एक से अधिक नाम नामिका में नहीं होंगे।

९.१३(क) शोध छात्र द्वारा शोध प्रबन्ध की मुद्रित या टंकित प्रतियाँ जो पूर्व में प्रकाशित न हो शोध सारांश की तीन (०३) प्रतियों तथा शोध प्रबन्ध की पी॰डी॰एफ॰ प्रारूप में साहित्यिक चोरी तथा शिक्षा सम्बन्धी छल-कपट का पता लगाने के लिए दो सी॰डी॰ स्वीकृत शोध प्रारूप के साथ मूल्यांकन के हेतु प्रस्तुत की जायेगी। प्रकाशित सामग्री को भी उसके सन्दर्भ का उल्लेख करते हुए शोध प्रबन्ध में समाविष्ट किया जा सकेगा।

९.१३(ख) शोध प्रबन्ध/थीसिस को मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से एक वचनबद्धता प्राप्त की जायेगी तथा शोध निर्देशक द्वारा कार्य की मौलिकता के लिए अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जायेगा कि किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गयी है।

९.१३(ग) शोध प्रबन्ध की भाषा सामान्यतः संस्कृत, प्राकृत होगी। अनुसधानोपारिधि समिति संस्कृतेतर भाषा में स्नातकोत्तर अध्ययन वाले विभागों में हिन्दी, अंग्रेजी अथवा भोट भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकती है। किन्तु आयुर्वेद संकाय के शोध प्रबन्ध संस्कृत में ही जमा किये जायेंगे। विशेष स्थिति में उन्हें हिन्दी अनुवाद सहित शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया जाना अनुमन्य हो सकेगा।

९.१४- शोध प्रबन्ध में निम्न शर्तों की पूर्ति आवश्यक होगी -

(क) शोध प्रबन्ध नये तथ्यों या नये सिद्धान्तों का आविष्कार करता है। दोनों ही स्थिति में शोध प्रबन्ध शोधकर्त्ता के आलोचनात्मक समीक्षा और सुदृढ निर्णय शक्ति का प्रतिभान होना चाहिये। अभ्यर्थी को शोध प्रबन्ध में निर्दिष्ट करना होगा कि प्रबन्ध में कितना भाग उसके अपने अनुसंधान पर्यवेक्षक पर आधारित है तथा यह शोध किस सीमा तक विषय के ज्ञान को बढ़ाने वाला है।

(ख) शोध प्रबन्ध की भाषा शैली सन्तोषजनक होनी चाहिए तथा यह प्रकाशन के योग्य होना चाहिए।

(ग) शोधप्रबन्ध के साथ मार्ग निर्देशक का निम्न अभिकथनों वाला प्रमाणपत्र संयोजित होना चाहिए-

(अ) शोध प्रबन्ध शोध छात्र के स्वयं के अनुसंधान कार्य का परिणाम है।

(ब) शोध छात्र ने विभाग में अपेक्षित उपस्थिति पूरी की है।

(स) शोध छात्र ने अध्यादेश में निष्पादित अवधि तथा उसके अधीन शोध कार्य लिया है।

(घ) अभ्यर्थी शोध प्रबन्ध के साथ शोध प्रबन्ध मूल्यांकन तथा वाक् परीक्षा के लिए शुल्क रू. 10,000/- (दस हजार) तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की स्थिति में रू. 5000/- (पाँच हजार) विश्वविद्यालय में जमा करेगा।